GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I/91/PM9/2 New Delhi, dated: 24-3-92.

The General Managers(Accounts),
All Indian Railways &
Production Units.

Sub: Promotion to the post of Accounts Asstts(Rs.1400-2600).

As the Railways are aware, vacancies in the grade of Accounts Asstts(Rs.1400-2600) are to be filled by Junior Accounts Asstts(Rs.1200-2040) who have completed atleast 3 years service as JAA provided they have passed the Appendix II Examination. However, the condition of passing Appendix II Examination is not insisted upon in the case of those Junior Accounts Asstts. who have been promoted as such on the basis of seniority -cum-suitablity without passing the Appendix II Examination.

2. It has come to the notice of the Board that in some of the Railways if the senior employees are not found eligible for promotion for want of three years service as JAA, the employees who come on request transfer on bottom seniority are promoted on adhoc basis on the consideration that they have rendered three years service including the service rendered in the earlier seniority unit.

3. The matter has been carefully considered by the Board and it has been decided that adhoc promotions should not be made in such circumstances and the posts operated in the lower grade till the eligible candidates become available for promotion.

4. Necessary action may be taken accordingly under advice to Board.

5. Please acknowledge receipt.

(K.B. LALL)
JOINT DIRECTOR, ESTABLISHMENT(N)
RAILWAY BOARD.

NO.E(NG)I/91/PM9/2 New Delhi, dated: 24-3-92.

Copy forwarded to:-

(i) The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, 4, State Entry Road, New Delhi-55.

(ii) The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi.

(iii) The Secretary and Members staff side, Departmental Council(JCM) 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.

for SECRETARY, RAILWAY BOARD.

Copy to:- PS/MS, Adv(staff), Adv(F), EDA, EDV, EDE(N), DPC, DF(CCA), JDE(Rep), JDE(N), JDE(P&A), JDE(Res)I & II, P&AD, DDE(N), DDE(R)I & II, AC-III, E(NG)II, E(Rep)i, II, III, E(SCT)I & II, PG, E(G), ERB-2 Branches, Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं० ई(एन जी)।/91/पी एम 9/2 नई दिल्ली, दिनांक 21·3·1992

महाप्रबंधक (लेखा),
सभी भारतीय रेलें और
उत्पादन इकाइयां

विषय:- लेखा सहायक (1400-2600 रु०)के पद पर पदोन्नति

जैसाकि रेलों को ज्ञात है कि लेखा सहायक(1400-2600रु०) के ग्रेड में रिक्तियां उन कनिष्ठ लेखा सहायकों (1200-2040 रु०)द्वारा भरी जानी हैं जिन्होने कनिष्ठ लेखा सहायक के रूप में कम से कम 3 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो बशर्ते कि उन्होंने परिशिष्ट ।।परीक्षा पास कर ली हो । बहरहाल,परिशिष्ट ।। परीक्षा पास करने की शर्त उन कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के मामले में बाध्यकर नहीं है जिन्हें परिशिष्ट ।। परीक्षा पास किए बगैर वरिष्ठता -एवं -उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत कर दिया गया हो ।

2· बोर्ड की सूचना में यह बात आई है कि कतिपय रेलों में यदि कनि·ले·स·के रूप में तीन वर्ष की सेवा न होने के कारण पदोन्नति के लिए वरिष्ठ कर्मचारियों को पात्र नहीं पाया जाता तो निम्नतम वरिष्ठता के आधार पर अनुरोध स्थानांतरण पर आए कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर इस विचार से पदोन्नत कर दिया जाता है कि पूर्व वरिष्ठता इकाई में उनके द्वारा की गई सेवा सहित उन्होंने तीन वर्षों की सेवा पूरी कर ली है ।

3· बोर्ड द्वारा इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में तदर्थ पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए और पदोन्नति के लिए पात्र उम्मीदवार उपलब्ध होने तक पद को निम्नतर ग्रेड मेंप्रचालित करना चाहिए ।

4· तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और इस संबंध में बोर्ड को सूचित करें ।

5· कृपया पावती दें ।

(ए के बी लाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराज·)
रेलवे बोर्ड ।

सं·ई(एन जी)I/91/पी एम 9/2 नई दिल्ली, दिनांक: 24-3-92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित :-

(I) जनरल सेक्रेटरी, ए आई आर एफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली-55

(II) जनरल सेक्रेटरी, एन एफ आई आर, 3, चेम्सफोर्ड रोड,, नई दिल्ली ।

(III) सचिव और सदस्य, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद, (जे·सी·एम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड ।

- - -